न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 35/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 09.03.2022

जीसीएमएस नम्बर :— 2022/76

वादी

नाथुराम पुत्र श्री गोपुराम, उम्र—64 वर्ष, जाति—माली, निवासी—मेघदडा, तहसील— रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किशन कंवर पत्नि श्री देवीसिंह उदावत, उम्र—वयस्क, जाति राजपुत, निवासी बर
2. तृष्णाकंवर पत्नि श्री लालसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति राजपुत, निवासी बर
3. केवलराम पुत्र श्री मांगु, उम्र—वयस्क,
4. पपुराम पुत्र श्री मांगु, उम्र—वयस्क,
5. सुगन पुत्र श्री मांगु, उम्र—वयस्क,
6. सोहनलाल पुत्र श्री मांगु, उम्र—व्यस्क,
7. मगदुदेवी पत्नि श्री मांगु, उम्र—वयस्क,
8. मनिष भाटी पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र—वयस्क,
9. लक्ष्मण पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र—वयस्क,
10. गजराईदेवी पत्नि श्री बाबुलाल, उम्र—वयस्क, समस्त प्रतिवादीगण जाति माली, निवासी मेगदडा, तहसील—रायपुर जिला पाली राज.
11. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 "ए"92 ,188 आरटीए

उपस्थित 1 श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 श्री विरेन्द्र सैन एवं श्री चन्द्र दीप सिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी
अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः13.07.2022

वादी की ओर से वकील श्री जसवन्तसिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 "ए"92,188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध मौजा मेगदडा, पटवार हल्का दीपावास भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 156 रकबा 1.991 किस्म चाही चारम आराजीयात हैं। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2075—2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की फोटो प्रति तथा नजरी नक्शे कि प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात खाता सं. नया 47 के खसरा नं 156 मे वादी का 1/4 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 वा हिंस्सा तथा प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 7 प्रत्येक का 1/24 वा हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 8 से लगायत 10 प्रत्येक का 1/72 वा हिस्सा राजस्व रेकड मे दर्ज है। विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 3 से लगायत 10 की पुश्तैनी खातेदारी भुमि है। जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। उक्त भुमि के मोके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने पुर्वजो के समय से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं जो पुर्वजो के कार्य काल से आज दिंनाक तक कब्जा काश्त कर रहे है। उक्त विवादित भुमि पर लाल रंग कि दर्शायी भुमि पर पुर्व मे वादी का कब्जा काश्त थी। जिसमे वादी ने

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

लाखों रूप्यों लगाकर उपजाउ बनाया है एवं चारों तरफ तारबदीं करवा रखी है जिसकी फौटो वादपत्र के साथ संलग्न है। जिस पर वादी पुर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 10 के मध्य वादपत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि कई वर्षो से मौके पर आपस मे बंटी हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके रेकर्ड अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग की भुमि पर वादी मौके पर कब्जा काश्त है। मौके पर वादी द्वारा अपने हिस्से की भुमि मे वर्तमान आल की फसल बोई हुई है। परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि जमाबन्दी अनुसार शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एकं जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण अपनी पालडोल को लेकर एवं अपने हिस्से कि आराजी बोने के लिए रास्ते हेतु आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। तथा दिंनाक 07/03/2022 को प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 10 ने एक राय होकर वादी की उपजाउ जमीन पर कब्जा करने की नियत से तारबंदी एवं रोपे हुए पत्थर तोड दिये। इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 3 से लगायत 10 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न हुआ वादी 1 पक्षकार है सामने सख्या मे ज्यादा लोग होने से उनके द्वारा आये दिन जान से मारने की धमकिया दी जा रही है एवं वादी की कब्जा शुदा भुमि पर कब्जा करने को आमदा है। जिस कारण उक्त वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। वादी ने पुर्व मे कई मर्तबा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी को अपने–अपने हिस्से अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की बदनियती रखते हैं। इसी बदनियती से वादी की उपजाउ जमीन पर कब्जा करने की नियत से वादी द्वारा की गई तारबंदी एवं रोपे हुए पत्थर को तोड दिये। इसलिए प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादी के बार–बार बॅटवारा करने की बात कहने पर वादी के साथ गाली–गलौच करते हुए मारपीट करने पर अक्सर उतारू होते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 को बार बार निवेदन करने पर उनके द्वारा मना करने एवं दिंनाक 07/03/2022 को प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 10 ने एक राय होकर वादी की उपजाउ जमीन पर कब्जा करने की नियत से तारबंदी एवं रोपे हुए पत्थर तोड दिये। जिस पर पुलिश चौकी बर मे रिर्पोट देने एवं वादी द्वारा कब्जा अनुसार उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बॅटवारा मौके अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का बार बार कहने, मगर कुछ प्रतिवादीगण की नियत सहीं नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिंनाक 07/03/2022 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपनी भुमि को कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शे अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेघाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आर्फ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे काश्त रेकर्ड के अनुसार तकास्मा कर वादी का हिस्से का नक्शा तरमीम करवा कर एवं मौके पर चल रहे

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

शामलाती रास्ते को रास्ते मे तरमीन करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। बिनायदावा दिंनाक 07.03.2022 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से भुमि का मौके पर कब्जा अनुसार बटवाडा करने का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने वादी के द्वारा अपने हिस्से की भुमि को लाखों रूप्ये लगाकर उपजाउ बनाई एवं चारों तरफ की गई तारबंदी को उपजाउ भुमि पर कब्जा करने की नियत रखते हुए तारबदी तोडने एव वादी को नुकसान पहुचाते हुए वादी को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम मेगदडा पटवार हल्का दीपावास मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है । उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी का मुकदमा उनके हक में प्रथमदृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादी के पक्ष में है। एवं वादी को सुविधा का संतुलन नहीं मिलने तक तकास्मा नही होने तक समस्त प्रतिवादीगण को रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें। वादी के हक हिस्से मे किसी भी प्रकार की दखलदाजी नही करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 को उपरोक्त वादपत्र के पैरा. सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादीगण सं. 11 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राममेगदडा पटवार हल्का दीपावास तहसील रायपुर में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार मे है। जमाबन्दी संवत् 2073–76 के अनुसार सरहद मेगदडा पटवार हल्का दीपावास, तहसील रायपुर के वाके आराजी नया खाता सं. 47 खसरा सं. 156 रक्बा 1. 9991 किस्म चाही चारम में **वादी का 1/4** वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 7 प्रत्येक का 1/24 वा हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 8 से लगायत 10 प्रत्येक का 1/72 वा हिस्सा राजस्व रेकड मे दर्ज है।तथा वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण अपने अपने दर्ज हिस्से अनुसार भुमि मौके पर बंटी हुई है। विवादित भुमि के मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण नजरी नक्शे अनुसार काबिज है। उक्त वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग की भुमि पर वादी का मौके पर कब्जा काश्त है। एवं इसी अनुसार विवादित भुमि मौके पर पुर्वजो के समय से मौके पर बॅटी हुई है। मौके अनुसार विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है एवं दिनाक 07/03/2022 को प्रतिवादीगण सं. 3 से लगायत 10 तक वादी की उपजाउ भुमि पर कब्जा करने कि नियत से कि गई तारबंदी एवं पत्थर को तोड दिये है। इसलिये वादी के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार, मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शे अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को उक्त भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जाकर तकास्मा आराजी की डिक्रि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के सादिर फरमावे ।वादी के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादी के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोघ उत्पन्न होते हो।

अतः वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 03 से 07 एवं 10 की तरफ से अधिवक्ता श्री कैलाश परिहार वगै ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शा. मि. किया गया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01,02,08,09 के सम्मन तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र पर अपना जबाव प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं एवं बहस करना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। इस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील वादी एवं प्रतिवादी ने उक्त वादपत्र पर बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाण्डस करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वादपत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने के आदेश दिये गये हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 03 एवं 04 की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री चन्द्र दीप सिंह भाटी एवं श्री अनुराण रिणवा अधिवक्ता ने पेश किया जो शा. मि. किया गया हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया था, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2022/1132 दिनांक 10.05.2022 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	1 किशनकंवर पत्नि देवीसिंह उदावत हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. बर खातेदार 2 तृष्णाकंवर पत्नि लालसिंह उदावत हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. बर खातेदार	156	0.9995	चाही चारम	9.27
2	नाथू पुत्र गोपू हिस्सा संपूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा संपूर्ण (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर	156/1	0.4998	चाही चारम	4.62
3	1 केवलराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 2 गजराईदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 3 पपूराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 4 मगदुदेवी पत्नि मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा.	156/2	0.4998	चाही चारम	4.62

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	देह खातेदार 5 मनिषभाटी पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 6 लक्ष्मण पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 7 सुगन पुत्र मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 8 सोहनलाल पुत्र मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार				

उक्त बंटवाडा प्रस्ताव को शा. मि. किया गया।प्रतिवादीगण संख्या 04,05,06,07,10 की ओर से दिनांक 31.05.2022 को श्री विरेन्द्र सैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, जो शा. मि. किया गया हैं। उक्त वकालतनामा पर श्री अनुराण रिणवा अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं करने के संबंध सहित पेश किया गया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 03 से 07 एवं 10 की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 25.03.2022 की आपत्ति के संबंध में पेश किया, जो शा. मि. किया गया जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी अधिवक्ता ने पूर्व में पेश बंटवाडा प्रस्ताव पुनः मंगवाने हेतु पेश किया था, जिसमे उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव 25.04.2022 को तैयार किया। जो सरासर गलत हैं जिसमे प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर खाली कागजों में करवाये गये हैं। नाथूराम के नाम से दर्शाया गया हिस्सा नाथूरा एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 से 10 का सामलाती कब्जा काश्त का भाग हैं। विभाजन प्रस्ताव में जो भूमि केवलराम अन्य के हिस्से में दर्शा रखी है। उक्त भूमि काबिल काश्त नहीं हैं और मात्र नदी की रेत हैं। उक्त भूमि लगातार नदी एवं बारिश आने से कट गई हैं। जिस पर किसी प्रकार काबिल काश्त काश्त नहीं हैं। अच्छी से अच्छी भूमि तो नाथूराम के नाम से दर्शा रही हैं। उक्त विभाजन को निरस्त करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें।

इस पर वादी अधिवक्ता ने अपने जबाव में बताया कि तहसीलदार रायपुर ने बाद मौका निरीक्षण व नाप चौप कर सभी खातेदारों की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर सभी खातेदारों के मौके पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा सभी खातेदारों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से बंटवाडा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं, जो सही हैं। केवलराम व अन्य ने अपने हिस्से की भूमि से बजरी को अवैध रूप से खुदाई कर लाखों करोडो रूपये में बेच दी हैं, इसीलिए उक्त भूमि खड्डे हैं। वादी के हिस्से की भूमि में लाखो रूपये लगाकर उसे उपजाउ एवं समलत बनाया हैं। वादी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि से कोई बजरी बेचान नहीं की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव सभी खातेदारों की उपस्थिति मे तैयार कर मौके पर ही हस्ताक्षर करवाये गये हैं। विभाजन का नक्शा एवं रकबा स्पष्ट रूप से विभाजन प्रस्ताव में अंकित करने के पश्चात् सभी खातेदारों ने पढ़ सुन समझ कर सही होना स्वीकार कर अपने–अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की हैं। वादी की भूमि को वादी ने स्वयं समतल कर लाखो रूपये लगाकर उपजाउ बनाया हैं जिसका वर्णन वादी ने अपने वादनपत्र में किया हैं, जिसे प्रतिवादीगण स्वीकार कर सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी करवायी हैं। बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 25.04.2022 के अंतिम निर्णय दिया जाकर बंटवाडा किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, ज़बाव एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव पर खातेदारों

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

के हस्ताक्षर सहमति से करवाये गये लिहाजा प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बंटवाडा प्रस्ताव की आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्राथमिक डिक्री की पालना अनुसार बंटवाडा करने हेतु एवं अन्तिम डिक्री करने हेतु उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रारम्भिक आपत्ति खारिज होने से बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता लगातार पूर्व तीन तारीख पेशी पर अनुपस्थित हैं। प्रतिवादीगण एवं उनके प्रतिवादीगण को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक 13.07.2022 को अनुपस्थित हैं। प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता को बार-बार आवाजे समय 11एएम,3पीएम व 4पीएम पर दिलाई गई। आवाजे दिलाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वकील वादी की एकपक्षीय बहस समायत की गई। वकील वादी ने बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार, एवं बंटवाडा प्रस्ताव पर पेश प्रतिवादीगण की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति खारिज होने से बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने के आदेश एवं अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मेगदडा पटवार हल्का दीपावास, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :-

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	1 किशनकंवर पत्नि देवीसिंह उदावत हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. बर खातेदार 2 तृष्णाकंवर पत्नि लालसिंह उदावत हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. बर खातेदार	156	0.9995	चाही चारम	9.27
2	नाथू पुत्र गोपू हिस्सा संपूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा संपूर्ण (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर	156/1	0.4998	चाही चारम	4.62
3	1 केवलराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 2 गजराईदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 3 पपूराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 4 मगदुदेवी पत्नि मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 5 मनिषभाटी पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 6 लक्ष्मण पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 7 सुगन पुत्र मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 8 सोहनलाल पुत्र मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा.	156/2	0.4998	चाही चारम	4.62

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	देह खातेदार				

बंटवाड़ा **प्रस्ताव** के संलग्न, तहसीलदार **रायपुर द्वारा** पेश विभावन **प्रस्ताव मय** नजरी **नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।** वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(राजेश मेवाड़ा)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 53 ''ए'92' एवं 188 राज. टि.एक्ट
राजस्व वाद 35/2022

वादी

नाथुराम पुत्र श्री गोपुराम, उम्र–64 वर्ष, जाति–माली, निवासी–मेघदडा, तहसील– रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किशन कंवर पत्नि श्री देवीसिंह उदावत, उम्र–वयस्क, जाति राजपुत, निवासी बर
2. तृष्णाकंवर पत्नि श्री लालसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति राजपुत, निवासी बर
3. केवलराम पुत्र श्री मांगु, उम्र–वयस्क,
4. पपुराम पुत्र श्री मांगु, उम्र–वयस्क,
5. सुगन पुत्र श्री मांगु, उम्र–वयस्क,
6. सोहनलाल पुत्र श्री मांगु, उम्र–व्यस्क,
7. मगदुदेवी पत्नि श्री मांगु, उम्र–वयस्क,
8. मनिष भाटी पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र–वयस्क,
9. लक्ष्मण पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र–वयस्क,
10. गजराईदेवी पत्नि श्री बाबुलाल, उम्र–वयस्क, समस्त प्रतिवादीगण जाति माली, निवासीं मेगदडा, तहसील–रायपुर जिला पाली राज.
11. तहसीलदार रायपुर

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अधिवक्तागण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	1 किशनकंवर पत्नि देवीसिंह उदावत हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. बर खातेदार 2 तृष्णाकंवर पत्नि लालसिंह उदावत हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. बर खातेदार	156	0.9995	चाही चारम	9.27
2	नाथू पुत्र गोपू हिस्सा संपूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा संपूर्ण (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रायपुर	156/1	0.4998	चाही चारम	4.62
3	1 केवलराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 2 गजराईदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 3 पपूराम पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 4 मगदुदेवी पत्नि मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार 5 मनिषभाटी पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 6 लक्ष्मण पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/18 जाति माली सा. देह खातेदार 7 सुगन पुत्र मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह	156/2	0.4998	चाही चारम	4.62

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

	खातेदार 8 सोहनलाल पुत्र मांगु हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार				

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.07.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	31	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	01	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान			
मीजान		10	00			32	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।